कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि

जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

Phone. No. 07868-241222, Fax. No. 07868-241801 E-Mail Id- dmkanker.steno@gmail.com

//विज्ञापन//

क्रमांक /10056 /कले./DMF/2021–22 कांकेर, दिनांक 22/12/2021

व्यवस्थापक, जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का आदेश कमांक/ एफ 7–34/2016/XII नवा रायपुर दिनांक 23.03.2021 के द्वारा स्वीकृत पद संरचना अनुसार **छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास**, 2015 के नियम 26 के उपनियम (4) के तहत् जिला उत्तर बस्तर कांकेर हेतु स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु इच्छूक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही **कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, C/0 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर** पिन कोड– 494334 के नाम से प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 22/01/2022 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक निर्धारित है। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पद का नाम	कुल पद	वेतनमान (एकमुश्त)	वर्गवार	आयु		अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
					न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास सहायक	1	75000/–	अनारक्षित (मुक्त)	21 वर्ष	35 वर्ष	1 मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण 2. प्रबंधन में स्नात्कोत्तर उपाधि/डिप्लोमा।
2	लेखापाल	1	18420/–	अनारक्षित (मुक्त)	21 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम न्यूनतम 50 प्रतिशित से उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally Software का पर्याप्त ज्ञान। 3. लेखा संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। 4. 03 वर्ष लेखा कार्य का अनुभव।
3	सहायक ग्रेड–03	02	14200/–	अना.–01 (मुक्त) अजजा.–01 (मुक्त)	21 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
4	भृत्य	1	11360/–	अनारक्षित (मुक्त)	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

पद कमांक – 01, विकास सहायक

01. **चयन प्रकिया** – संविदा पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित। निर्धारित अर्हता अनुसार मेरिट एवं कार्य अनुभव के आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। (न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त

प्रतिशत का भारांश अंक अधिकतम 50 अंक होगा, 01 वर्ष तक के अनुभव पर 05 अंक तथा अधिकतम 03 वर्ष से अधिक अनुभव पर 15 अंक, साक्षात्कार पर अधिकतम 35 अंक प्रदान किया जायेगा। **कुल अंक 100 होगा।**

02. अर्हता –

01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा समतुल्य ग्रेड के साथ उत्तीर्ण।

02. मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधन (Management) में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा।

03. आयु सीमा – नियुक्ति वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

04. विकास सहायक पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनों पक्षों में मे किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

06. चयनित अभ्यर्थी के साथ जीवित प्रतिक्षा सूची में 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।

07. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।

पद कमांक – 02, लेखापाल

01. **चयन प्रकिया** – जिला स्तर पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जावेगा।

02. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 50 अंक और कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त अंक पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 35 अंक एवं शासकीय विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव में अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक) के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।

03. लेखापाल पद हेतु कांकेर जिले में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।

05. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनों पक्षों में मे किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

पद कमांक – 03, सहायक ग्रेड – 03

01. **चयन प्रकिया** – जिला स्तर पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जावेगा।

02. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 50 अंक और कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त अंक पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 35 अंक एवं शासकीय विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव में अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक) के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।

03. सहायक ग्रेड–03 पद हेतु कांकेर जिले में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04.पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

05. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।

06. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।

Scanned with CamScanner

07. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनों पक्षों में मे किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

पद कमांक – 04, भृत्य

01. **चयन प्रकिया** – जिला स्तर पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जावेगा।

02. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

03. भृत्य पद हेतु कांकेर जिले में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनों पक्षों में मे किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

05. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।

06. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।

नियम एवं अन्य शर्ते :-

01. छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।

02. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

03. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन भत्ता या अन्य राशि की पात्रता नहीं होगी।

04. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

05. नियुक्ति वर्ष 01.04.2021 की स्थिति में संविदा नियुक्ति हेतु पद कमांक 01 हेतु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष और पद कमांक–02,03 एवं 04 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में शासन द्वारा समय–समय पर आयु सीमा में दी गई छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगें।

06. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

07. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5/–रूपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा (10"X4") अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

08. अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

09. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु पांचवी, आठवीं, हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंकसूची की प्रमाणित (स्वयं सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।

10. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा व पूर्व संस्था का नियुक्ति पत्र, वेतन सहित प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

11. उम्मीदवार द्वारा लिफाफे में आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।

12. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

13. आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

14. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव, घटाया-बढ़ाया तथा निरस्त भी किया जा सकता है।

15. शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति में लागू होगा।

16. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर एवं पदेन सचिव, जिला खनिज संस्थान न्यास, उत्तर बस्तर कांकेर का होगा।

17. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

18. आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर अथवा स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा। इस संबंध में कोई भी दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों में संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

20. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 03 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुवित व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा। छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति के नियम/प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति की जावेगी।

21. आवेदन पत्र की उपलब्धता - आवेदन पत्र का प्रारूप कांकेर जिले की वेबसाईट **https://kanker.gov.in/notice_category/recruitment** पर देखा जा सकता है।

<u>टीप :-</u> आवेदक यह सुनिश्चित करने कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी जिम्मेदारी समाप्त की जावेगी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / 1005 /कले./DMF/2021-22 कांकेर, दिनांक 22/12/2021

<u>प्रतिलिपि :-</u>

01. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर को सूचनार्थ।
03. अपर कलेक्टर, (नोडल अधिकारी, डीएमएफ) जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
04. जिला खनिज अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

Scanned with CamScanner

निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप
(प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें)

पद कमांक – ....
आवेदित पद का नाम – ....
वर्ग (जाति) – ....
लिंग – ....

नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वयं द्वारा प्रमाणित चस्पा करें।

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि,
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....
(अंग्रेजी में) :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. अ. जन्मतिथि अंकों में :– ....
ब. शब्दों में :– ....
4. आयु दिनांक 01.04.2021 को :– वर्ष ....माह ....दिन...........
05. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :– ....
....
..................................मो.नं. ....
06. पत्र व्यवहार का स्थायी पता :– ....
....
..................................मो.नं. ....
07. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक :– ....
:– ....
08. क्या आवेदक छ.ग. राय का मूल निवासी है? :– ....
(यदि हां तो सक्षे अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वयंसत्यापित प्रति संलग्न करें)
09. क्या आवेदक छ.ग. राज्य द्वारा छ.ग. राज्य के :– ....
लिये घोषित अजा/अजजा/अपिव का सदस्य है ? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
10. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं :– ....
(यदि हां तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :– ....
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? :– ....
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
13. क्या आवेदक विवाहित है? हां/नहीं :– ....
14. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :– ....

Scanned with CamScanner

15. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :- ....

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में :- ....
सेवारत है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

17. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक :- ....
प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट उल्लेख करें।

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

–: घोषणा पत्र :–

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :– .... **आवेदक का हस्ताक्षर**

स्थान :– ....

Scanned with CamScanner